[2008] 2 एस. सी. आर 753

बोक्का सुब्बा राव

बनाम

कुक्काला बालाकृष्ण और अन्य

(2008 की सिविल अपील सं. 1245)

12 फरवरी, 2008

(तरुण चटर्जी और दलवीर भंडारी**,** जे**.**जे**.)**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; S.100:

दूसरी अपील-उच्च न्यायालय द्वारा बिना विधि के सारवान प्रश्न को तैयार किए बिना अनुज्ञात की गयी।- वैद्धता- गलतः - अपील को, विधि के सारवान प्रश्न को तैयार करने और उसके पश्चात गुणवगुण पर नए सिरे से निर्णीत करने के लिए उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित किया गया।

मुद्दा जो इस अपील में निर्धारण के लिए उठा था कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा **100** के संदर्भ में बिना विधि के सारवान प्रश्‍न को तैयार किए दूसरी अपील को निर्धारित करने में उच्च्च न्यायालय सही था ।

आंशिक रूप से अपील अनुज्ञात की गयी।

निर्णितः **1.1** यह अब इस तरह के निर्णयों की श्रेणी से अच्छी तरह से तय हो गया है कि दूसरी अपील को उच्च न्यायालय द्वारा **,**अनुज्ञात करने से पूवर् **,** विधि के सारवान प्रश्न को बनाना होगा तथा उसके पश्चात उस विधि के सारवान प्रश्न पर विचार करते हुए उसे निर्णीत करना होगा। इस मामले में**,** निश्चित रूप से ऐसा कोई सारवान विधि का प्रश्न तैयार नही किया गया था और उसके पश्चात भी दूसरी अपील को अनुज्ञात कर दिया गया था। अतः ऐसी स्थिति में**,** हम उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में पारित निर्णय को अपास्त करते हैं तथा अपील को**,** विधि के सारवान प्रश्न को तैयार करने और उसके पश्चात गुणवगुण पर नए सिरे से निर्णीत करने के लिए उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित करते हैं।

(पैरा**-4) [754-**जी**; 755-**ए**]**

1.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने अपील के गुणावगुण पर गौर नहीं किया है। **(** पैरा**-5) [755-**सी**]**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील 2008 की 1245

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के दूसरी अपील 2004 की 1665 के निर्णय और आदेश 26.07.2005 दिनांकित से

ए. टी. एम. संपत और टी. एस. शमथा - अपीलार्थी के लिए।

टी.वी.रतनाम - प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय प्रदान किया गया - तरूण् चटर्जी, जे.

1. अनुमति दी गयी।

2. विशेष अनुमति याचिका के नोटिस जारी करते समय,इस न्यायालय ने इस बारे में सीमित सूचना दी कि क्यों न दूसरी अपील को धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा अपेक्षित विधि के सारवान प्रश्न को तैयार करने और उसका निर्णय करने में विफलता के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।

3. वादीगण-प्रत्यर्थीगण द्वारा एक वाद, यह घोषणा करने के लिए कि वाद पत्र संपत्ति अनुसूची की वस्तु संख्या २ उनकी आत्यंतिक संपति थी, और प्रतिवादीगण को उक्त वस्तु का कब्जा प्रराप्त करने से रोकने के लिए शाश्वत व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। वाद खारिज कर दिया गया, जिसकी अपील में पुष्टि की गई। हालांकि दूसरी अपील में पारित उच्च न्यायालय के विवादित फैसले से दावा डिक्री किया गया था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद के उपरोक्त निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, जिसके संबंध में अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात और दूसरी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का परीक्षण करने के पश्चात , हमारा यह विचार है कि दूसरी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक छोटे से प्रश्न पर अपास्त किए जाने योग्य हैं। यह अब इस तरह के निर्णयों की श्रेणी से अच्छी तरह से तय हो गया है कि दूसरी अपील को उच्च न्यायालय द्वारा ,अनुज्ञात करने से पूर्व, विधि के सारवान प्रश्न को बनाना होगा तथा उसके पश्चात उस विधि के सारवान प्रश्न पर

विचार करते हुए उसे निर्णित करना होगा। इस मामले में, निश्चित रूप से ऐसा कोई सारवान विधि का प्रश्न तैयार नही किया गया था और उसके पश्चात भी दूसरी अपील को अनुज्ञात कर दिया गया था। अतः ऐसी स्थिति में, हम उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में पारित निर्णय को अपास्त करते हैं तथा अपील को, विधि के सारवान प्रश्न को तैयार करने और उसके पश्चात गुणवगुण पर नए सिरे से निर्णीत करने के लिए उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित करते हैं।

5. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है। दूसरी अपील को उसके मूल रूप में पुनः स्थापित किया जाता है। उच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया जाता हैं कि वह दूसरी अपील काे एक जल्द तिथि पर निस्तारित करे, अधिमानतः इस आदेश की प्र्ति प्ा्रप्त होने के छह माह के भीतर। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम अपील के गुणावगुण पर नहीं गए हैं जिनका निर्णय कानून के सारवान प्रश्नों को तैयार करने के बाद किया जाएगा और उसके पश्चात विधि अनुसार दूसरी अपील को निर्णीत किया जाएगा ।

6. इसलिए, यह अपील ऊपर इंगित सीमा तक अनुज्ञात की जाती है। खर्चाे के सन्दर्भ में कोई आदेश नहीं ।

अपील आंशिक रूप से अनुज्ञात की जाती है।

एस के एस

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सौभाग्य सिंह चारण (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।